न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – अरूण कुमार जैन, आर० ए० एस

मूल प्रार्थना पत्र संख्या– 6/2012 पुनः दर्ज 825/2013 तथा इस न्यायालय का प्रार्थना पत्र संख्यांक 43/2022

नरपत सिंह पुत्र सरदार सिंह जाति राजपूत निवासी कुडियो का बास तहसील जोबनेर

प्रार्थी

बनाम

1. बादरीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति दरोगा
2. जगमाल सिंह
3. कजोड सिंह पुत्रान पन्ने सिंह
4. मालसिंह पुत्र नाथूसिंह समस्त जाति राजपूत समस्त निवासी कुडियो का बास तहसील जोबनेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– 1. श्री भागचन्द सांभरिया विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।
2. श्री बादरीलाल पुत्र जगन्नाथ अप्रार्थी सं. 1 अनुपस्थित।
3. श्री सुरेश शर्मा विद्वान अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी सं. 2 व 3।
4. श्री मालसिंह पुत्र श्री नाथू सिंह अप्रार्थी संख्या 04 अनुपस्थित।
5. सरकार पैरोकार

निर्णय

दिनांकः– 10.01.2023

पत्रावली पेश हुई। उक्त प्रकरण पूर्व मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश क्रमांक सम/2022/4190–4200 दिनांक 11.10.2022 के द्वारा उक्त प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक से हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिनांक 12.03.2012 को प्रस्तुत किया जिसमे प्रार्थी ने ग्राम कुडियो का बास में स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नं. 70 से एक पाइप लाईन डाल रखी हैं। पाइप लाईन पीने के पानी की है, जो कि प्रार्थी के अन्य खेत में स्थित कुए से आ रही है। उक्त अन्य खेत मे स्थित कुए पर ट्यूबवैल लगा हुआ है जिसमें बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है। अन्य खेत मे स्थित कुए से पाइप लाईन खसरा नं0 70 में होती हुई खसरा नं0 68/1 मे से होती हुई प्रार्थी के घर पर ग्राम कुडियों का बास मे आ रही है। जिससे प्रार्थी पीने का पानी काम में लेता है तथा पशुओ के लिए भी पीने का पानी काम मे लेता है उक्त खसरा नं0 70 में प्रार्थी ने पानी खोलने हेतु वॉल लगा रखे हैं, तथा सिचाई भी खसरा नं0 70 की अन्य खेत मे स्थित कुए से करते है। उक्त खसरा नं0 70 में जाने हेतु प्रार्थी खसरा नं0 68/1 में से पिछले 50 वर्षो से आता जाता रहा है। तथा पानी का

...2

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

वॉल खोलने हेतु भी उक्त रास्ते से ही खसरा नं0 70 मे आता जाता रहा है। प्रार्थी को अपने खेत खसरा नं0 70 मे जाने हेतु खसरा नं0 68/1 स्थित रास्ते के अलावा अन्य काई वैकल्पिक रास्ता नही है। खसरा नं0 68/1 वर्तमान में बादरीलाल पुत्र जगन्नाथ कोम दरोगा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित हैं। जबकि इस नाम का व्यक्ति वर्तमान या उसके पूर्व कभी इस गांव मे नही रहा ना उसका कोई मकान है। उक्त खसरा नं0 68/1 को लेकर एक बंटवारानामा भी हुआ था। उक्त खसरा नं0 68/1 में सांवतसिंहजी के पोते श्री मालसिंह पुत्र नाथूसिंह ने व कजोडसिंह पुत्र पन्नेसिंह, जगमालसिंह पुत्र पन्नेसिंह ने पुख्ता मकान बना रखे हैं तथा शेष खसरा नम्बर 68/1 में बची हुई भुमि में से ही प्रार्थी अपने खेत खसरा नं0 70 में आता जाता रहता था। खसरा नं0 68/1 में स्थित रास्ते के अलावा खसरा नं0 70 में जाने का अन्य कोई रास्ता प्रार्थी के पास नही है। दिनांक 26.02.2012 को अप्रार्थीगण ने रास्ता बन्द कर दिया तथा प्रार्थी के घर जो पीने की पाईप लाईन आ रही है वह भी खसरा नं0 70 में से होती हुई खसरा नं0 68/1 में से भूमिगत पाईप लाईन प्रार्थी के घर जा रही है। जो की काफी अरसे से स्थित है। चूंकि यदि रास्ता बन्द रहेगा तो प्रार्थी अपने खेत खसरा नं0 70 मे आ–जा नही सकेगा जिसमें प्रार्थी नें गेहूँ व चने की फसल काश्त कर रखी है तथा पीने के पानी का वॉल भी खसरा नं0 70 में ही है इसलिए उक्त रास्ते को जो 68/1 में है खुलवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पेश होने पर अप्रार्थी खातेदार बादरीलाल पुत्र जगन्नाथ दरोगा की तामील अदम लौटने से सामाचर–पत्र में साया कराने के आदेश दिये गए जिस पर दिनांक 30.03.2012 के दैनिक नव ज्योति समाचार–पत्र में नोटिस साया करवाया जाने पर भी अप्रार्थी बादरीलाल उपस्थित नहीं हुआ।

प्रकरण में तत्कालीन तहसीलदार फुलेरा जिला जयपुर से रिपोर्ट क्रमांक LR/12/624 दिनांक 07.05.2012 तथा क्रमांक LR/12/637 दिनांक 22.06.2012 द्वारा संशोधित रिपार्ट प्राप्त की गई जो कि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 की ~~धारा~~ नियम 69 के अनुसार अपठनीय है। दिनांक 25.06.2012 को अप्रार्थीगण जगमाल सिंह व कजोडसिंह पुत्रान् पन्नेसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र मे पक्षकार बनने हेतु आवेदन किया जिसे बाद सुनवाई स्वीकार किया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी को आने जाने के लिए रास्ता खसरा नं0 68/1 की भूमि में कभी नही रहा, बल्कि प्रार्थी के लिए रास्ता गोचर भूमि में से है जो रास्ता ग्राम हिंगोनिया व गोचर भूमि सुन्दरियावास की तरफ से रास्ता प्रार्थी की भूमि में जाता है तथा और नजदीक रास्ता प्रार्थी लेना चाहता है तो वह खसरा नंबर 72 की भूमि में से ले सकता है जिसमें से आसानी से रास्ता उसको मिल सकता है। प्रार्थी ने केवल मात्र अप्रार्थीगण को नाजायज हैरान परेशान करना चाहता है इसलिए उसने कतई गलत तथ्यो पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

दिनांक 17.07.2012 को प्रकरण मे बहस सुनी गई तथा दिनांक 23.07.2012 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थीगण जगमाल सिंह वगै0 ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष अपील संख्या 402/2012 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26.10.12

.....3

10/01/2013
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

को उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.07.2012 को निरस्त किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिए गए कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कि धारा 251–ए के अनुरूप नवीन रास्ता देने के संबंध में सभी संभावित विकल्पों पर विचार करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे तथा अधीनस्थ न्यायालय के अन्तिम निर्णय पारित होने तक अप्रार्थी/अपीलान्ट को पावन्द किया जाता है कि वह प्रार्थी/रेस्पोडेंट के अस्थाई तौर पर आने जाने के रास्ते मे किसी भी प्रकार अवरोध उत्पन्न नही करे। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के निर्णय के विरुद्व प्रार्थी नरपत सिंह द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी याचिका संख्या 9182/2012 जयपुर पेश की गई निर्णय दिनांक 09.10.2013 द्वारा निगरानी याचिका को खारिज करते हुए निर्णय दिया कि राजस्व अपील प्राधिकारी ने अधिनियम की धारा 251–ए के अनुरूप नवीन रास्ता देने के संबंध में सभी संभावित विकल्पों पर विचार करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करने के लिये प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने में कोई विधिक भूल नहीं की है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक के पत्रांक 955 दिनांक 23.12.2021 की पालना मे तहसीलदार जोवनेर के पत्राकं 124 दिनाकं 12.01.2022 के द्वारा अपूर्ण मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तत्पश्चात दिनांक 07.09.2022 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक के पत्रांक रीडर/22/984 द्वारा श्रीमान निबन्धक महोदय राजस्व मंडल अजमेर के नवीन दिशा निर्देशानुरूप मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु पत्र लिखा जिसकी अनुपालना मे तहसीलदार जोवनेर द्वारा पत्रांक 6041 दिनांक 10.10.2022 से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

प्रार्थी नरपत सिंह द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के समक्ष एस. बी. सिविल रिट पिटिशन नं0 6457/2022 निर्णय दिनांक 05.08.2022 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक को प्रकरण का 3 माह मे निस्तारण के निर्देश दिए गए। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश क्रमांक सम/2022/4190–4200 दिनांक 11.10.2022 के द्वारा उक्त प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक से हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को दिनांक 14.10.2022 को प्राप्त हुई। पत्रावली का अध्ययन करने पर तहसीलदार जोवनेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 12.01.2022 तथा दिनांक 10.10.2022 मे परस्पर विरोधाभासी तथ्य सामने आने पर इस न्यायालय के पत्राकं 356 दिनांक 14.11.2022 तथा पत्रांक 09 दिनांक 25.11.2022 के द्वारा पुनः स्पष्ट मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया जिसकी पालना मे तहसीलदार जोबनेर के पत्रांक 7121 दिनांक 09.12.2022 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मौका रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार प्रार्थी के पास अन्य वैकल्पिक रास्ता हिंगोनिया सुन्दरियावास, कुडियों का वास की सीमा पर स्थित चारागाह भूमि से सागर की ढाणी हिंगोनिया कच्चे रास्ते से है, जिसका राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज नहीं है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न जमाबंदी खसरा नं. 68/1 के खातेदार का नाम मालसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी कुडियो का बास अप्रार्थी संख्या 4 के नाम दर्ज है।

पक्षकारान की वहस सुनी गई दौराने वहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र

.....4

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि दिनांक 22.12.2014 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी जगमाल सिंह ने तहसीलदार जोबनेर की रिपोर्ट दिनांक 09.12.2022 के बिन्दू संख्या 8 में वर्णित खसरा नं0 68/2 में से वैकल्पिक रास्ता देने हेतु सहमति व्यक्त की। तहसीलदार फुलेरा की मौका रिपोर्ट दिनांक 07.05.2012 को प्रथम रिपोर्ट पेश की है उसमें रास्ता दिये जाने का अंकन है लेकिन तहसीलदार जोबनेर की मौका रिपोर्ट 09.12.2022 के पैरा नं. 1 में उपलब्ध रास्ते का अंकन नहीं है। तहसीलदार जोबनेर की मौका रिपोर्ट दिनांक 12.01.2022 के अनुसार 68/1 में से दिये गए वैकल्पिक रास्ते को खातेदारान द्वारा पुख्ता दीवार का निर्माण कर बंद कर दिया गया है। 68/2 में मकान बनाकर बंद कर दिया गया है। रास्ता उपलब्ध नहीं की स्थिति में निकटतम रास्ता दिया जाने का प्रावधान है। यदि अप्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले भूमि लेने पर सहमत है तो प्रार्थी अप्रार्थीगण को भूमि देने हेतु सहमत है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.07.2021 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर वैकल्पिक रास्ते को जरिये पुलिस इमदाद द्वारा खुलवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 22.12.2014 में मार्क सी से डी रास्ता प्रकरण का अन्तिम निस्तारण नहीं होने तक 8 फीट चौड़ा रास्ता देने/खुला रखने का अभिवचन किया गया। खसरा न. 68/2 में प्रार्थी द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा है अप्रार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया जो वादी की बदनियति को दर्शाता है। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 25.06.2012 को प्रकरण की जानकारी होने पर आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दायर कर पक्षकार बने है। 68/1 के वर्तमान खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया है। पुख्ता दीवार 68/1 के खातेदार द्वारा बनाई गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए अप्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा रास्ता खसरा नं0 68/1 की भूमि में से भी चाहा गया है। जिसके खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश के अनुसार वैकल्पिक रास्ता चालू है। उक्त भूमि बैंक में रहन है एवं बैंक को प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। धारा 251ए में अण्डरटेकिंग स्वीकार नहीं है। असुविधाजनक होने के आधार पर रास्ता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

सरकार पैरोकार द्वारा दौराने बहस में अवगत कराया गया है कि राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक 2012 दिनांक 17.12.2015 में चारागाह भूमि में से रास्ता दिये जाने का प्रावधान नहीं है। पंचायत के परामर्श से चरागाह भूमि को अन्य कार्य में लिए जाने हेतु काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 के अतिरिक्त कोई प्रावधान नहीं है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस का जवाब देते हुए कहा कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय आदेश दिनांक 23.07.2012 के अनुपालना में राशि 24412 रूपये जमा करवा दिये गए है। उक्त राशि का समायोजन करते हुए रास्ता दिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये :-

1. 2017 (2) आरआरटी 980 हरीराम व अन्य बनाम सज्जन कंवर व अन्य
2. 2016 (1)आरआरटी 440 जगमाल बनाम करणसिंह
3. 2018 (2) आरआरटी 1193 कमला देवी बनाम प्रेमचन्द व अन्य

...5

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

पत्रावली का तथा अधिवक्तागण द्वारा की बहस का अध्ययन एवं मनन किया गया तथा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील संख्या 402/2012 निर्णय दिनांक 26.10.2012 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए को स्पष्ट करते हुए निर्देशित किया है कि **"प्रार्थी को उसके सुविधाजनक उपयोग के लिए ही रास्ता नहीं दिया जावेगा एवं सभी विकल्पों पर विचार करते हुए अन्तिम निर्णय किया जावेगा व जिस प्रकार खातेदार की खातेदारी में से रास्ता निकाला जावेगा उसे भी किसी प्रकार की असुविधा न हो, के तथ्यों पर भी विचार किया जाना नितान्त आवश्यक है।"** माननीय न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के संबंध में प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में तहसीलदार, जोबनेर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 07.05.2012, 22.06.2012, 12.01.2022, 10.10.2022 व 09.12.2022 का आध्योपान्त अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यदि खसरा नं. 68/1 व 68/2 मे से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तो तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 22.06.2012 के अनुसार अप्रार्थीगण के मकान,बोरिंग व दिवार को हटाना आवश्यक होगा। इस कार्यवाही से अप्रार्थी खातेदारो को असुविधा होगी एवं अपूर्णीय क्षति होगी। तहसीलदार जोबनेर की मौका रिपोर्ट दिनांक 12.01.2022 एवं संलग्न गूगल नक्शा से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी नरपत सिंह की खातेदारी भूमि ग्राम कुडियों का बास खसरा नं0 70 हेतु पहुंच मार्ग ग्राम हिंगोनिया व जोरपुरा–सुन्दरियावास की सरहद से होता हुआ उपलब्ध है, जिसका प्रार्थी व अन्य खातेदार अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु उपयोग कर रहे है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की नैसर्गिक भावना के अनुसार प्रार्थी के पास पहुंच मार्ग उपलब्ध है। अतः प्रार्थी के पास वैकल्पिक पहुंच मार्ग उपलब्ध होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के विपरित होने के आधार पर एतद्द्वारा खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार, फुलेरा को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा तहसील फुलेरा के जरिए राजकोष में जमा करायी गयी 24,412 रूपये की राशि प्रार्थी को नियमानुसार पुनः लौटायी जायें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नबंर से कम हों।

तहसीलदार फुलेरा/जोबनेर को प्रति पालनार्थ भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2023 को टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/01/2023

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर